UPMO0010102892022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी– (सुरेन्द्र कुमार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02401**

दाण्डिक निगरानी संख्या–312/2022

गुलरेज अहमद पुत्र गुलजार अहमद,
निवासी–मौ0 मुगलपुरा, सक्का अव्वल, निकट लाल स्कूल, थाना मुगलपुरा, जिला मुरादाबाद ।

..... **निगरानीकर्ता।**

बनाम

1. श्रीमती शिपरा पाण्डे पुत्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे,
   मूल निवासी–ग्राम व पी0 ओ 0 सिंदूरवा, मकान नं0–394, थाना कमरौली, तह 0 मुसाफिरखाना, जिला अमैठी द्वारा डॉ0 संजीव तिवारी, संजय गांधी अस्पताल।
2. डॉ0 संजीव तिवारी पुत्र रवि शंकर त्रिपाठी,
   मूल निवासी–ग्राम कल्यानपुर, थाना जामौ, तहसील गौरी, जिला अमैठी।
3. नीरज द्विवेदी पुत्र विभूति प्रसाद द्विवेदी,
   निवासी–ग्राम पन्ना टिकरी, थाना कोतवाली देहात, जिला सुल्तानपुर।
4. राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे पुत्र राम आसरे पाण्डे,
5. श्रीमती ज्ञान पाण्डे पत्नी राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे,
   निवासीगण–ग्राम सिंदुरवा, थाना कमरैली, जिला अमैठी।
6. राज्य सरकार द्वारा डी0 जी0 सी0 (क्रिमिनल), मुरादाबाद ।

..... **विपक्षीगण।**

निर्णय

(1)– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी अन्तर्गत धारा–397 दण्ड प्रक्रिया संहिता, निगरानीकर्ता ने विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–5, मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या–3536/2018, गुलरेज अहमद बनाम श्रीमती शिपरा पाण्डे आदि में पारित प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 29.06.2022 के विरुद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के द्वारा निगरानीकर्ता का परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता में निरस्त किया गया है।

(2)– संक्षेप में परिवाद संख्या–3536/2018 के तथ्य इस प्रकार हैं कि, "परिवादी के साथ मुल्जिमा श्रीमती शिपरा पाण्डे ने धोखा देकर व रूपया लेकर हड़पने की नियत से दिनांक 18.12.2015 को स्वयं स्वेच्छा से मुरादाबाद में ही हिंदु धर्म त्याग कर लिखित तौर से इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दिखाकर बतौर मुसलमान होकर मुझ परिवादी के साथ निकाह किया व मेरे साथ वहैसियत पत्नी रहकर हकूके जौजियात भी मुरादाबाद में अदा किये गये व मेरे नुतर्फ से उसके गर्भ भी ठहर गया, जिसके बाद मेरे द्वारा उसकी

मेडिकल जांच करायी जाती रही। तयशुदा मेहर की रकत एक लाख रूपये मेरे द्वारा निकाह के बाद ही तुरंत मुरादाबाद में ही अदा कर दी गयी थी जो उसने वसूल पाई थी। श्रीमती शिपरा पाण्डे मेरे साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद भी गयी व पिटीशन भी दायर कराये तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत भी रजिस्टर्ड करवाने को निर्देशित किया। इस निर्देश का पालन करते हुए हमारे द्वारा स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह करने का प्रार्थनापत्र स्पेशल मैरिज आफिस मुरादाबाद के समक्ष पेश किया गया। मगर दिनांक 25.02.2016 को परिवादी को पुलिस थाना संभल द्वारा मुरादाबाद से पकड़कर संभल ले जाकर व अवैध हिरासत में रखने व श्रीमती शिपरा पाण्डे व मैं परिवादी स्पेशल मेरिज आफीसर एडीएम सिंटी मुरादाबाद के समक्ष पेश न हो सके व स्पेशल मेरिज एक्ट के अंतर्गत दिया प्रार्थनापत्र अदम पैरवी में निरस्त हो गया व मुल्जिमा श्रीमती शिपरा पाण्डे मेरे द्वारा उसको मैहर में दी गयी एक लाख रूपये की धनराशि जो मुझ से धोखा देने की नियत से मुसलमान बनकर निकाह करन के बाद वसूल की गयी थी, वह अपने साथ अन्य मुल्जिमान के साथ मिलकर साजिश करके अपने, साथ ले गयी और इसी आधार पर श्रीमती शिपरा पाण्डे के पिता मुल्जिम राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे द्वारा एक फर्जी तथ्यों पर आधारित एक रपट थाना कोतवाली संभल में लिखाई, जिसमें शिपरा पाण्डे के बयान अंतर्गत 164 दं०प्र०सं० स्वयं के अपनी मर्जी से संभल आने का बताकर दर्ज कराये गये, जिसमें अंतिम आख्या आई जो स्वीकृत हुयी। इसी क्रम में स्वयं को कानूनी कार्यवाही से बचाने के लिए आपस में राय मशवरा करके साजिशन उपरोक्त समस्त तथ्यों को छुपाते हुए एक फर्जी तथ्यों पर आधारित झूठी रपट थाना महानगर लखनऊ में कथित समस्त तथ्यों व रपट व बयानात व अंतिम आख्या व विवाह आदि को छुपाते हुए कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए दर्ज कराई, जबकि कानूनी तौर पर श्रीमती शिपरा पाण्डे मेरी बीबी है, तलाक नहीं हुयी है। प्रार्थी द्वारा इस वाद में अपनी जमानत की दरख्वास्त गुजारी गयी जो इस समय माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में विचाराधीन है, जिसमें उपरोक्त श्रीमती शिपरा पाण्डे ने व मुल्जिम संजीव तिवारी ने भी मेरे साथ हुयी कानूनी व वैध शादी की जानकारी होते हुए व रहते हुए आपस में एक दूसरे को अवैध रूप से पति पत्नी स्वीकार करते हुए एडलटी के जुर्म को स्वीकार किया व अन्य मुल्जिमान नीरज द्विवेदी, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, श्रीमती ज्ञान पाण्डे ने समस्त उपरोक्त अपराधों के किये जाने में मुझ से धोखा देकर महर की धनराशि एक लाख रूपये मुरादाबाद में ही हड़पने में मेरी पत्नी के मेरी मर्जी के विरूद्ध अवैध रूप से गर्भपात कराकर सहायता की व श्रीमती शिपरा पाण्डे की अवैध शादी व जारकर्म के अपराध में भी सहयोग किये जाने व दुष्प्रेषण करते हुए जुर्म अंतर्गत धारा 420,467,468,471,312 आई.पी.सी. का किया गया है व प्रार्थी के विरुद्ध थाना महानगर लखनऊ में साजिशन झूठी रपट लिखाकर, जहां मैं मुकदमा सं0 555/17 थाना मुगलपुरा में निरूद्ध हूं, लखनऊ तलब करवाकर जुर्म का भी किया गया है।"

(3)– विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी के बयान अंतर्गत धारा–200 दं0 प्र 0 सं0 तथा पी0 डब्लू0–1 श्रीमती सायरा बानो के बयान अंतर्गत धारा–202 द 0 प्र 0 सं0 अंकित किये गए। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के उपरोक्त

अभिकथनों एवं उसके द्वारा परिवाद में दाखिल किये गये प्रपत्रों तथा परिवादी के बयान अंतर्गत धारा–200 तथा पी0 डब्लू0–1 के बयानों अंतर्गत धारा–202 द0प्र0सं0 के आधार पर निगरानीकर्ता का परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आदेश दिनांकित 29.09.2022 के द्वारा निरस्त किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गई है।

(4)– निगरानीकर्तनी द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि, आदेश अन्तर्गत निगरानी विधि तथा तथ्यों के विरूद्ध है तथा क्षेत्राधिकार का गलत उपयोग करते हुए पारित किया गया है। पत्रावली पर तलबी हेतु पर्याप्त साक्ष्य व प्रथम दृष्टया साक्ष्य संज्ञेय अपराध व अजमानतीय अपराध की पूर्णतया उपलब्ध हैं तथा क्षेत्राधिकार का सही उपयोग नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादित सिद्धान्त के अनुसार क्रास वर्जन वाली रपट दर्ज करायी जा सकती है व परिवाद भी दायर की जा सकती है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी स्वीकार करने तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.09.2022 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

(5) मैंने विपक्षी सं0–6 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) की बहस को सुना एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक रूपेण अवलोकन किया।

(6)– निगरानीकर्ता तथा विपक्षी सं0–1 ता 5 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विपक्षी संख्या–6 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 26.09.2022 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

(7)– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि–विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया है। विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 05.03.2025 को अपास्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने की याचनी की गयी है।

(8)– विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता/परिवादी का परिवाद यह निष्कर्ष अंकित करते हुए निरस्त किया गया है कि, "परिवादी ने विपक्षी संख्या–01 श्रीमती शिप्रा पाण्डे से मुस्लिम रीति–रिवाज से शादी करने का कथन किया है। परिवादी द्वारा शिप्रा पाण्डे को मैहर की एक लाख रूपये रकम अदा करने का भी कथन किया गया है, परंतु दिनांक 25.02.2016 को थाना संभल की पुलिस द्वारा परिवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। परिवादी के विरुद्ध शिप्रा पाण्डे के पिता ने फर्जी तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट दर्ज करायी। उसके उपरांत विपक्षीगण ने परिवादी के विरूद्ध थाना महानगर, लखनऊ में भी रिपोर्ट दर्ज करायी। परिवादी के परिवाद एवं साक्ष्य से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा विपक्षी संख्या–1 से विवाह किया गया, जिसके संबंध में विपक्षी के परिवार द्वारा परिवादी के विरूद्ध थाना संभल में धारा–363,366 भा०द०सं० का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। परिवादी के

विरूद्ध धारा–66 सूचना अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अतः स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य मुकदमेबाजी प्रचलित रही। उभयपक्ष के मध्य वैवाहिक संबंधों से विवाद उत्पन्न हुए। परिवादी का यह आरोप कि विपक्षी संख्या–1 ने परिवादी से मात्र मैहर का पैसा हड़पने के लिए शादी की विश्वास किये जान योग्य नहीं है। अतः परिवादी द्वारा परिवाद मात्र विपक्षीगण पर दबाव बनाने हेतु किया गया, प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में विपक्षीगण प्रथम दृष्टया तलब किये जाने योग्य नहीं है। अतः परिवादी का उक्त परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं०प्र०सं० खारिज किये जाने योग्य है।" जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या–1 ने निगरानीकर्ता/परिवादी से शादी की थी। उभय पक्ष के मध्य पारिवारिक संबंधों को लेकर विवाद है।

(9)– माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि–व्यवस्था ***अमित कुमार बनाम रमेश चन्दर (2012) 9 एस0 सी0 सी0, 460 (पैरा 12, 13, 18 एवं 20)*** में कहा गया है कि, पुनरीक्षण न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश घोर त्रुटिपूर्ण हो या विधिक प्रावधानों का अनुपालन न किया गया हो या अवर न्यायालय का निष्कर्ष साक्ष्य से परे हो या अवर न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग पक्षपातपूर्ण व अनौचित्यपूर्ण रूप से किया गया हो। इसी प्रकार से ***स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 बनाम निज्ञर एग्रो फूड्स लि0 (2005) 12 एस0 सी0 सी0 506*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि व्यवस्था स्थापित की है कि, पुनरीक्षण न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार नहीं है कि, वह अवर न्यायालय के निष्कर्षों को निरस्त कर अपना निष्कर्ष दे। धारा 397 से 401 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुनरीक्षण न्यायालय को सीमित अधिकार हैं और पुनरीक्षण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकती।

(10)– उपरोक्त समस्त विश्लेषण तथा माननीय न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–05, मुरादाबाद के प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 26.09.2022 के गंभीरतापूर्वक अवलोकन से पुनरीक्षण न्यायालय की राय में प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 26.09.2022 तर्कसंगत, विधिसम्मत एवं न्याय के प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुक्रम में है और न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–05, मुरादाबाद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का विधिसम्मत प्रयोग करते हुए ही प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 26.09.2022 पुष्ट किया जाकर, प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता गुलरेज अहमद की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–312/2022, अन्तर्गत धारा–397 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 26.09.2022 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि, इस आदेश की एक प्रति, अवर न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ, अवर न्यायालय में नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 09.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 09.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।